कार्यालय कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 12 अ–82/19–20/कोलगांव/ 1330 बैतूल दिनांक 1-2-2020 ~~–01–2020~~

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे0 में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	कोलगांव	18.029	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क0 2 बैतूल	चौंकी कोलगांव जलाशय हेतु भूमि का अर्जन

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का कुल रकबा हे0 में	अर्जित भूमि का रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	प्रमोद व0 मोहनलाल जाति तेली सा0 देह	211/18	1.914	1.914
2	नितिन व0 मोहनलाल जाति तेली सा0 देह	211/4	1.728	0.959
3	लीलाबाई जौजे उद्वावराव जाति मराठा सा0 देह	211/3	0.999	0.999
4	सोना बेवा टंटी, राजू व0 टंटी जाति किराड सा0 देह	211/7	0.685	0.230
5	मुन्नू व0 कुंवरलाल जाति अ0जा0 सा0 देह	211/6	1.619	0.631
6	धनराज व0 कुवंरलाल जाति अ0जा0सा0 देह	211/17	1.718	0.696
7	अमरलाल व0 भोदू, रामकली , सोमती, शिवकली, श्यामकली, पुत्री भोंदू , चन्द्रभागा बेवा भूरा, सुखनंदन, संतोष, सावन्या व0 भूरा, सोमती, सुगन्ती, पुत्री भूरा, सतोका जौजे भभीचंद, रामरतन, मंगल, सुखदेव व0 सुखराम मैनाबाई बेवा तिलक, रविशंकर, शिवशंकर व0 तिलक , तारा अंजीरा पुत्री तिलक, शिवरती बेवा बंशी, कमलेश, संजू मनोज, दिलीप पप्पू व0 बंशी जाति किराड सा0 देह	342/1	4.618	3.024
8	राजेन्द्र व0 मनीराम जाति किराड सा0 देह	342/2	1.828	0.444
9	दिनेश, गणेश, व0 प्रेमलाल, प्रेमलाल व0 पूनाजी जाति तेली सा0 देह च	343/1	3.448	2.039
10	जनकलाल व0 पूनाजी जाति तेली सा0 देह	343/2	3.035	2.762
11	जमुना बेवा दमड़या, सोमा, गोमा, रामा पिता दमड़या, सरस्वती, सुग्रीव पिता दमड़या, जाति कोरकू सा0 देह	344	6.475	1.376
		346	1.720	1.057
		347	0.109	0.029
12	श्रावन व0 वात्या अ0जा0 सा0 देह	349	2.582	1.869
	योग		32.478	18.029

1— चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि0 (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

4-- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(तेजस्वी एस. नायक)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

2/5-2-2020

पृ0क0 12 अ—82/वर्ष 19—20 /कोलगांव /1330 बैतूल दिनांक 1-2-20 —1—2020

प्रतिलिपिः—

1— उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2— संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3— कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभा, क0—2 बैतूल जिला बैतूल सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर समुचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

5— प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7— तहसीलदार बैतूल की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं ग्राम पंचायत पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

8— जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू—अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

अपर कलेक्टर एवं
प्र0अ0भू—अर्जन बैतूल

05/02/2020